राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 421/2025

बालकरण सिंह **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक एवं विशेष सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त एवं शासन सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग, जयपुर।
4. उप निदेशक, स्थानीय स्वशासन विभाग, जयपुर।
5. कार्यकारी अधिकारी, नगर पालिका, सांगरिया, हनुमानगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.02.2025
आदेश की दिनांक : 11.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एन.के. शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– लेखराज तोसवाड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नगरपालिका, सांगरिया, जिला हनुमानगढ़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से नगर निगम भरतपुर में 550 कि.मी. दूर बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.02.2025 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। अपीलार्थी की नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 2006 में हुई थी। अपीलार्थी का

वर्ष 2019 से स्थानान्तरण सादुलशहर से जयपुर, जयपुर से सरदारशहर, सरदारशहर से श्रीकरणपुर, श्रीकरणपुर से संगरिया में किया गया है। अपीलार्थी का निवास स्थान सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर है। अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निदेवन किया कि अपीलार्थी माताजी वृद्ध है एवं बीमार रहती है एवं पत्नी भी बीमार रहती है। अपीलार्थी के केवल मात्र एक पुत्री है, जो श्रीगंगानगर में ही अध्ययनरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण होने से अपीलार्थी के परिवार को अत्यंत कनिठनाई का सामना करना पड़ेगा। अपीलार्थी के अलावा उनके परिवार की देखभाल करने वाला परिवार में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को निरन्तर सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नगरपालिका संगरिया जिला हनुमानगढ़ में निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ताओं को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. प्रकरण के तथ्य एवं अभिलेखों से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नगरपालिका, संगरिया, जिला हनुमानगढ़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से नगर निगम भरतपुर में प्रशासनिक आवश्यकता एवं राज्यहित में किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में अधिकरण द्वारा तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि लिया गया निर्णय विधि–विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसवड़ा)
सदस्य